

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़।

विज्ञापित


उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024ई-80688/2025 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/सा0निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून दिनांक 03.02.2026 तथा पत्र संख्या 26769/सात लाई0-एस-48/आब0 नीति/वर्ष 2025-26 देहरादून दिनांक 28 मार्च 2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण एवं व्यवस्थापन प्रक्रिया के अन्य चरणों के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

जनपद- पिथौरागढ़ वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों एवं देशी मदिरा दुकानों के राजस्व निर्धारण विवरण														
क्र. सं.	दुकान का नाम	प्रकार	वर्ष 2026-27 का कुल निर्धारित राजस्व।					वर्ष 2027-28 का कुल निर्धारित राजस्व।					वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु कुल निर्धारित घरोहर धनराशि	
			वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रतिभूति की धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जाजरदेवल (नवसृजित)	दे0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
2	बलुवाकोट (नवसृजित)	दे0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11284584	113000	11171584	1692688	930965	21784584	435692
3	सुवालेख (नवसृजित)	दे0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
4	उडियारीबेण्ड/चौकोड़ी(नवसृजित)	दे0म0	10400000	104000	10296000	1560000	858000	11183000	112000	11071000	1677450	922583	21583000	431660
योग :-			41900000	419000	41481000	6285000	3456750	45037584	451000	44586584	6755638	3715548	86937584	1738752

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित नव सृजित देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अधिकतम राजस्व ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।


 29/03/2026
 जिला आबकारी अधिकारी,
 पिथौरागढ़।